राजस्थान पत्रिका

संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस
यानी
स्वतंत्र और उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारिता का दिन है।
लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा बनाए काले कानून से यह खतरे में है। सम्पादकीय खाली छोड़कर हम लोकतंत्र के हत्यारे 'काले कानून' का पूर्ण मनोयोग से विरोध करते हैं।

सम्पादकीय

राष्ट्रीय प्रेस दिवसः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य के उच्च स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी किंतु उसके निर्देशों की अनुपालना करने में अब बहुत से समाचारपत्र आनाकानी करते दिखाई देते हैं। क्या यह नख-दंत विहीन हो गई है? क्या इसे कानूनी शक्तियां मिलनी चाहिए..?

अभिव्यक्ति की आजादी... संघर्ष जारी

एच. के. दुआ

पद्मभूषण से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, कई प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्रों के सम्पादक रहे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं।

सरकार इस अध्यादेश को सदन में रखती तो इसे अदालत में चुनौती जरूर मिलती। वहां इसे रद्द कर दिया जाता। शायद सरकार को चेहरा छिपाने का बहाना चाहिए था इसीलिए उसने दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 प्रवर समिति को सौंपा। अच्छा तो यह होता कि इस काले कानून को वापस ही ले लिया जाता।

वर्ष 1966 में पहले प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर, समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उनके स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार के लिए भारत में प्रेस काउंसिल बनाई गई। तब यह सोचा गया था कि उसे कानूनी शक्तियां देने की जरूरत नहीं है। अपेक्षा की गई थी कि प्रेस काउंसिल जिन बातों को समझेगी और हिदायतें देगी, उसे सही मानते हुए समाचार पत्र उसकी अनुपालना करेंगे। इतने वर्षों का तजुर्बा है कि बहुत से अखबार वालों ने प्रेस काउंसिल की हिदायतों की अनुपालना नहीं की। कानूनी शक्तियां न होने के कारण प्रेस काउंसिल इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका। यह बात भी सही है कि यदि प्रेस काउंसिल की ओर से कोई कार्रवाई की जाती तो उसे न्यायालय में ही चुनौती दे दी जाती। मेरा मानना है कि प्रेस काउंसिल को संविधान में संशोधन करके कानूनी शक्तियां देनी चाहिए। यह संशोधन भी होना चाहिए कि यदि प्रेस काउंसिल के किसी फैसले से असहमति है तो इसकी अपील भी प्रेस काउंसिल में ही हो। एक बात और है कि प्रेस काउंसिल के दायरे में केवल समाचार पत्र ही आते हैं जबकि आज के दौर में मीडिया का क्षेत्र व्यापक हो गया है। इंटरनेट और टेलीविजन भी समाचारों के बड़े स्रोत बन चुके हैं। टेलीविजन तो प्रेस काउंसिल को स्वीकार नहीं करता। टेलीविजन न्यूज चैनलों ने स्वैच्छिक नियंत्रण के लिहाज से अलग इकाई बना जरूर रखी है पर इसे कानूनी मान्यता नहीं है। इसके अलावा सभी चैनल इसके सदस्य भी नहीं है। किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं है। वैसे भी स्वैच्छिक नियंत्रक संस्था की कोई कद्र नहीं होती। कुल मिलाकर समाचारपत्रों, टेलीविजन और इंटरनेट मीडिया के लिए नियामक काफी कमजोर स्थिति में है। ऐसे में व्यापक प्रभाव के लिए मीडिया काउंसिल बननी चाहिए। इसे पूरे कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। मीडिया पर नियंत्रण मीडिया से संबंधित संस्था द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक बात यह भी देखने में आ रही है कि सरकार किसी भी दल की हो मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। एक बार बिहार में भी प्रेस विधेयक लाया गया था, जिसे वापस लेना पड़ा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने इसे अपनी भूल माना था। इसी तरह एक बार केंद्र में जब राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और लोकसभा में उनके पास 402 सांसदों का समर्थन भी था। वे सितंबर 1988 में प्रेस की आवाज दबाने वाला 'अवमानना विधेयक' लेकर आए। लोकसभा में इसे सरलता से पारित भी करा लिया गया लेकिन इसके विरोध में सभी समाचार पत्र, एडिटर्स गिल्ड आदि इकट्ठा हो गए और जबर्दस्त आंदोलन हुआ। आखिरकार, इस विधेयक को प्रचंड बहुमत वाली सरकार को वापस लेना पड़ा। राजस्थान में भी प्रेस की अभिव्यक्ति के विरुद्ध इसी किस्म का काला कानून लाने की कोशिश हुई। यदि सरकार इस अध्यादेश को सदन में रखती तो इसे न्यायालय में चुनौती जरूर मिलती और वहां इसे रद्द कर दिया जाता। शायद सरकार को चेहरा छिपाने का बहाना चाहिए था और इसीलिए उसने दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रवर समिति को सौंप दिया। अच्छा तो यह होता कि इस काले कानून को वापस ही ले लिया जाता। पत्रकार जगत इसे लेकर आंदोलित है और राजस्थान पत्रिका इस मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह काम भी वह तब कर पा रहा है, जबकि आम जनता उसका साथ दे रही है। यदि लोग साथ नहीं देते तो प्रेस की ताकत कमजोर पड़ जाती है। आम जनता किसी भी समाचार पत्र या न्यूज चैनल का तभी साथ देती है जब उसकी विश्वसनीयता होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की लड़ाई में विज्ञापन रोक कर मीडिया पर दबाव डाला जाता है लेकिन जब जनता साथ है तो डर काहे का। यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि जब इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो तो हमेशा जागृत रहना चाहिए। जब भी सरकार कोई ऐसा काम करे जो अभिव्यक्ति की आजादी के विरुद्ध हो तो जमकर आवाज उठानी ही चाहिए। आजादी का इस्तेमाल करना है तो हमेशा चौकस रहना ही होगा। हालांकि चुनौतियां फिर भी कम नहीं हैं। पिछले दिनों खोजपूर्ण पत्रकारिता करने वाली गौरी लंकेश की हत्या हुई। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के विरुद्ध हो, फिर भी उनकी आवाज को शांत किया गया। नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, शांतनु भौमिक कई नाम हैं, जिनकी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हत्या हुई। यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि बहुमत की बात ही सही हो। अल्पमत की राय भी सही हो सकती है और उसे आम लोगों तक पहुंचने का अधिकार है। लोकतंत्र और मतभेद साथ चलते हैं। मतभेद रखने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। एक अन्य बात यह भी है कि प्रेस पर कॉर्पोरेट जगत भी हावी हो रहा है और यदि सरकार और उनका मेल हो जाए तो यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। एक दबाव भीड़ का भी होता है, ऐसे में जरूरी है कि भीड़ के दबाव में आए बिना एकला चलो रे की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की लड़ाई में विज्ञापन रोक कर मीडिया पर दबाव डाला जाता है लेकिन जब जनता साथ है तो डर काहे का। यह संघर्ष जारी रहना चाहिए।

बांग्लादेश : न्यायपालिका पर अंकुश !

दीपक के. सिंह

द.एशिया मामलों के जानकार

पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में अध्यापन

बांग्लादेश में मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल है कि जब न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा?

बांग्लादेश के 21वें मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जस्टिस सिन्हा और बांग्लादेश सरकार के बीच एक फैसले के बाद तकरार चल रही थी। जुलाई में सिन्हा की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यों की बैंच ने जजों पर संसद में महाभियोग चलाने सम्बंधित 16वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। इस संशोधन के जरिए सरकार जजों को भी जांच के दायरे में लाना चाहती थी। इसके बाद ही उनकी सत्तारूढ़ अवामी लीग की सरकार के साथ तकरार शुरू हुई। धीरे-धीरे यह फैसला राजनीतिक मुद्दा बन गया। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सही ठहराया। बांग्लादेश में सवाल उठ रहे हैं कि न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं रहेगी तो लोकतंत्र मजबूत कैसे हो पाएगा? ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा मिलेगा। जस्टिस सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार निचली अदालतों पर पहले ही नियंत्रण कर चुकी है अब शीर्ष कोर्ट को भी अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। जस्टिस सिन्हा ने इस्तीफे में क्या लिखा है उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार जिस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बना रही है उससे लगता है कि न्यायपालिका ज्यादा दिनों तक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। फैसले के बाद राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने 22 जजों को समन देकर बुलाया। मीटिंग के बाद पांच वरिष्ठ जजों ने सिन्हा पर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता के 11 आरोपों पर सफाई मांगी जिससे सिन्हा ने मना कर दिया। सिन्हा के मना करने के बाद इन जजों ने उनके साथ कार्य करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में सिन्हा के सामने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो गई और उन्हें आभास हो गया कि वे ज्यादा दिनों तक पदासीन नहीं रह पाएंगे। वे एक महीने की छुट्टी लेकर ऑस्ट्रेलिया गए और वहां से सिंगापुर जाकर बांग्लादेश के दूतावास में इस्तीफा सौंप आए। सिन्हा के छुट्टी पर जाने के बाद मियां अब्दुल वहाब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और वरिष्ठता के आधार पर वे सिन्हा का स्थान लेंगे। वहाब पर सिन्हा का फैसला पलटने का दबाव है, यदि वे ऐसा करते हैं तो न्यायपालिका की साख खत्म हो जाएगी। सिन्हा फिलहाल अपनी बेटी के पास कनाडा में हैं। उन्होंने छुट्टी पर जाते समय कहा था कि वे वापस अपने देश लौटेंगे पर इसके आसार कम ही नजर आते हैं क्योंकि कहीं कहीं उन्हें लग रहा कि यदि वे बांग्लादेश वापस आए तो गिरफ्तार करके उन पर मुकदमें चलाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके भारत में शरण लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

महाभारत

20

शांतिपर्व : दान

उसी प्रसन्नता के कारण उसने कर्ण को अंगदेश की मालिनी नाम्नी नगरी दान किया। हे युधिष्ठिर! शत्रुनाशन कर्ण तभी से अंगदेश के राजा हो गए थे। इसके अनन्तर कर्ण चम्पा नगरी का दुर्योधन की अनुमति से पालन करने लगे, वह सब वृत्तांत तुम तो जानते हो। कर्ण केवल इसी भांति अपने शस्त्र-बल से विख्यात हुए थे, शेष में देवराज इन्द्र ने तुम्हारे हित की अभिलाषा से कर्ण से अभेद कवच और कुण्डल का दान मांगा। उस समय कर्ण ने दैवी माया से मोहित होकर अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए अभेद कवच और दिव्य कुण्डलों को देवराज इन्द्र को दे दिया था। अपने शरीर के अभेद कवच और कुण्डलों से रहित होने के कारण युद्धभूमि में श्रीकृष्ण के सम्मुख अर्जुन के हाथ से मारे गए तो भी देखिए कि परशुराम और अग्निहोत्री ब्राह्मण के शाप, कुंती के अन्य चार भाइयों की रक्षा के लिए दिया वरदान, इन्द्र की मायाकौशल, सभा के बीच महारथियों की गणना करते समय भीष्म के अर्धरथी कह के पुकारे जाने का अपमान, शल्य के कठोर वचनों से तेज हानि और श्रीकृष्ण चन्द्र के नीतिबल उपाय के एकत्र मिलित होने से तथा रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोणाचार्य के निकट से गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था।इसी कारण कर्ण मारे गए हैं। **(क्रमशः)**

विश्व विचार : पाकिस्तान

सरकार के पास नहीं लापता कबायली लोगों के आंकड़े

पाकिस्तान के कबायली इलाकों से लापता होने वाले लोगों का न तो कोई रिकॉर्ड है और न ही सरकार उन्हें ढूंढ पाई हैं। इन इलाकों में मानवाधिकार रिकॉर्ड पर संसद भी कुछ कर पाने में खुद को असहाय पा रही है। लोगों के गायब होने के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बैंच के सामने केंद्रीय और खैबरपख्तुनवा प्रांत सरकार के प्रतिनिधि खाली हाथ ही पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पुछताछ के लिए गिरफ्तार, ओरोपित, चार्जशीटेड और हिरासत में लिए गए लोगों के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा था। आंकड़े नहीं देने पर कोर्ट ने उन्हें एक और मौका दिया है। इस समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। इस मुद्दे पर राज्य द्वारा कुछ संरक्षित तत्व सुरक्षा का हवाला दे कर जवाबदेही और पारदर्शिता से बच निकलते हैं। यह सही है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी जरूरी है लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसकी आड़ में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और वो सुरक्षित रूप से रह सकें।

(पाकिस्तान के अखबार डॉन के संपादकीय से साभार)

प्रसंगवश

फिर परेशान हैं किसान

केन्द्र सरकार ने 25 कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय कर रखा है। लेकिन बीकानेर धान मंडी में बेचने के लिए रखी गई किसानों की मूंगफली की पैदावार ताजा बरसात में भीग कर खराब हो गई। उदाहरण भले ही बीकानेर का हो लेकिन ऐसे हालात समूचे प्रदेश में हैं। किसान की उपज मंडियों में आने के बाद बरसात आदि से बर्बाद हो जाती है। यह विडम्बना है कि एमएसपी में शामिल 25 जिंसों में से चार-पांच को छोड़कर किसी भी जिंस की सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद ही नहीं करती। मूंगफली की पिछले साल गुजरात में सरकारी खरीद हुई लेकिन राजस्थान में नहीं की गई। गेहूं, धान और कपास को छोड़ दें तो शेष किसी भी फसल की नियमित और पूरी खरीद प्रदेश नहीं हो रही। इस बार राज्य में मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है। लेकिन खरीद का कोटा 25 क्विंटल तय कर दिया गया है। बीकानेर जैसे स्थानों पर जहां बडी जोत के किसान हैं वहां किसान समर्थन मूल्य पर अपनी पूरी फसल नहीं बेच पा रहे। खरीद सीमा तय होने से खरीद प्रक्रिया में दलालों का दखल बढ़ा है। किसानों को अपने उत्पाद सीधे मंडियों में बेचे जाने की छूट होनी चाहिए। ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल सुविधानुसार बेच सके। यदि समर्थन मूल्य से नीचे उसकी फसल बिकती है तो रसीद देख कर समर्थन मूल्य का जो अन्तर है उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था शुरू भी की गई है। सरकार को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों को राहत देने के लिए है न कि उसे परेशान करने के लिए। किसान को मंडी में फसल बेचने के दौरान भी बिचौलियों की ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। सरकारी निगरानी तंत्र के रूप में मंडी समितियां हैं लेकिन, वह जिंसों की बोली और पारदर्शितापूर्ण खरीद कितनी करवा पाती है यह किसी से छुपा नहीं है। जहां एमएसपी पर खरीद के पर्याप्त संसाधन नहीं है वहां पर एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान किसान को करने की बाध्यता लागू होनी चाहिए।

बात करामात

म्यान और तलवार

व्यंग्य राही की कलम से

मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान- जैसे शब्द रचने वाले कबीर अपनी वाक्पटुता से जीवन का एक ऐसा सत्य उजागर कर जाते हैं जो हमारे समाज के एक कटु यथार्थ का जिंदा बयान बन कर रह जाता है। चाहे सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, हम तलवार के महत्व को भूलकर सिर्फ और सिर्फ म्यान पर ही नजर गड़ाये रखते हैं। भूल जाते हैं कि म्यान तो एक आवरण मात्र है। म्यान की चमक देखकर जो तलवार का मोल करता है वह नितांत मूर्ख है। जैसे बेटी का ब्याह करना है तो ज्यादातर पिता वर के गुणों से ज्यादा उसका खानदान देखते हैं और इसी देखा-देखी में वे छले भी जाते हैं। अरे बापजी! आपकी पुत्री को लड़के के साथ जीवन निर्वाह करना है न कि उसके कुटुम्ब की चमक के संग। राजनीतिक जीवन में जो तमाशा हम करते हैं उसकी तो पूछो ही मत। आदमी से ज्यादा उसके भाषणों पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि जो जितना अच्छा वक्ता होता है वह उतना ही अच्छा लीडर भी होगा। भूल जाते हैं कि सेल्समैन-शिप और सेवा में भारी अंतर है। म्यान व तलवार के निर्माण में भी भेद है। म्यान को नक्काशीदार बनाने के लिए कोमल हाथों की जरूरत होती है जबकि तलवार को धारदार बनने के लिए अंगारों की भट्टी में तपना पड़ता है और हथौड़ों की चोट सहनी पड़ती है। आज हमारे समाज में तलवार से ज्यादा म्यान की कद्र है। इधर कुछ तलवार भी ऐसी होती हैं जो धार से ज्यादा म्यान के भरोसे रहती है। पुराने गीत की तरह कली-कली घूमे, भंवरा बेईमान, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। ऐसे लोगों को हमेशा एक आवरण की जरूरत होती है। राजनीति में इस तरह के नेता आपको खूब मिल जाएंगे जिनका काम पदों के बगैर चल ही नहीं सकता। उन्हें हमेशा एक पद चाहिए जिसे पाने के लिए वे सदैव बेचैन रहते हैं। अगर तलवार सचमुच पानीदार है तो उसके लिए म्यान बेकार है।

कल की बात...

दवा भूले तो डिजिटल पिल करेगी अलर्ट

अमरीकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने ऐसी दवाई को मंजूरी दी है, जिसमें सेंसर लगे हुए हैं। इस दवा को लेने के बाद चिकित्सक को आसानी से पता चल जाएगा कि आपने दवा ली है या नहीं या आपने दवा का सेवन कब किया है। एफडीए की तरफ से बताया गया कि एंटी-साइकाटिक ड्रग एबिलिफी मायसाइट पहली ऐसी दवा है, जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यह गोली कॉपर, मैगनीशियम और सिलिकॉन से बनी है जो पूरी तरह सुरक्षित है। इससे स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि मरीज ने समय पर दवाई ली या नहीं।

न्यूज रिकॉल...

इंग्लिश चैनल पार कर बनाया था इतिहास

मिहिर सेन भारत के प्रसिद्ध तैराक थे। उन्होंने 1966 में पनामा नहर की 77 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की थी। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई भी थे। उन्होंने 'साल्ट वॉटर' तैराकी में अनोखी दक्षता हासिल करके 5 महत्वपूर्ण रिकार्ड बनाए थे। इनका जन्म 16 नवम्बर 1930 को हुआ।

मोबाइल पर पढ़ें...

भूख से लड़कर जीता स्वर्ण

शिल्पा जैन सुराणा

सफलता में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आई

क्यूआर कोड को मोबाइल पर स्कैन करें और पूरा पढ़ें।

पाठक पीठ...

सबके लिए सुलभ हो आवास योजना

केन्द्र सरकार ने अपने कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा तो दिया ही है। केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इन कार्मिकों के आवास निर्माण अग्रिम संबंधी नियमों में भी छूट दी है। यह अग्रिम अब 34 माह के वेतन के बराबर होगी। केन्द्र का यह फैसला प्रशंसनीय है। लेकिन जरूरत है कि गरीबी के चलते आज भी लाखों लोग बेघर हैं। ऐसे लोगों के लिए भी सरकारी योजना बननी चाहिए।

पुष्पेन्द्र बैरवा, राजसमंद

जीएसटी कानून में और बदलाव जरूरी

आम लोगों पर किसी व्यवस्था को बोझ बनाने के बजाय उसे सुगमतापूर्वक लागू करना ज्यादा प्रभावी रहता है इसीलिए सरकार को जीएसटी कानून में और बदलाव करने चाहिए। नोटबंदी भी सरकार ने जिस मकसद से लागू की थी, संभवतया वे भी पूरे हो गए होंगे। खास तौर से जाली मुद्रा के प्रसार को रोकने का मकसद। सरकार को चाहिए कि फिर से 500 रुपए की तरह 1000 रुपए के नोट को भी जारी करे।

-रक्षित परमार, वाया-ई-मेल

हमसे ऐसे जुड़ें...

प्रकाशित सामग्री पर आपकी राय व विषय चयन के सुझाव हमें भेजें

@PatrikaNews

@ edit@epatrika.com